(11)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,**
**प्रशासकीय सदस्य**

---

निगरानी-2260-दो/06 विरुद्ध आदेश दिनांक 29.11.2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 717/अ-68/2005-06

---

गुड्डी बाई विधवा श्री भैयालाल चौबे
निवासी ग्राम बरौनी तह0 पबई जिला पन्ना (म.प्र.) .....**आवेदिका**

**विरुद्ध**

म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना (म.प्र.) .....**अनावेदक**

---

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा
अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी

---

**आदेश**
**(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)**

यह निगरानी आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण क्रमांक 717/अ-68/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2006 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार सिमरिया के यहां पटवारी हल्का बनौली द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि शासकीय मंदिर रामजानकी भूमि खसरा नं. 3858 रकवा 8.09 हे. आबादी में स्थित मंदिर परिसर में आवेदिका द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है जिसके आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आवेदिका के विरुद्ध 248 की कार्यवाही कर बेदखल करने का आदेश पारित किया। जिसके विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय

अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31.08.2006 द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश को उचित बताते हुए अपील निरस्त की। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 29.11.2006 द्वारा अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि श्रीराम जानकी मंदिर एवं परिसर में बना मकान आवेदिका के पूर्वजों के स्वत्व का है, इसी परिसर में निवासरत होकर आवेदिका के पूर्वज पीड़ी दर पीड़ी भगवान की सेवा पूजा करते आ रहे हैं। अपने स्व. पति श्री भैयालाल के उपरांत मंदिर की देखभाल एवं सेवा पूजा की व्यवस्था आवेदिका करती आ रही है। विवादित परिसर से धारा-248 के उपबंध आकर्षित नहीं होते।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि इसी परिसर से सटी आवेदिका के स्वामित्व की अन्य भूमियां हैं। ऐसी स्थिति में बिना सीमांकन के यह नहीं माना जा सकता कि आवेदिका ने कोई अतिक्रमण किया है तथापि आवेदिका अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित मकान में निवासरत है। आवेदिका से पूर्व आवेदिका के पूर्वज इसी में निवासरत चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी यह नहीं माना जा सकता कि आवेदिका ने कोई अतिक्रमण किया है।

4. अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर विधिवत कार्यवाही करते हुए आवेदिका को कारण बताओ नोटिस जारी कर एवं उसका जवाब प्राप्त किया जाकर आवेदिका के विरुद्ध संहिता की धारा 248 की कार्यवाही करते हुए उक्त् भूमि से उसे बेदखल करने का आदेश पातिर पारित किया, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालयों ने की है। अत: प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती होकर स्थिर रखे जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्रकरण की संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार के उपरांत विचारण न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए न्यायदृष्टांतों का हवाला देते हुए अपील निरस्त करने

में कोई त्रुटि नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित, न्यायिक एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है।

**(एम. गोपाल रेड्डी)**
**प्रशासकीय सदस्य**
**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश**
**ग्वालियर**